रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 15 नवम्बर, 1995/24 कार्तिक, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त (विनियम) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 सितम्बर, 1995

संख्या फिन-सी०-ए० (3)-4/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के साथ पठित धारा 98 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश पंचायत राज्य वित्त आयोग नियम, 1995 बनाते है जिनका सरकार की अधिसूचना संख्या एफ० आई० एन०-सी०-ए० (3)-4/94, तारीख 3-8-94 द्वारा तारीख 2-9-94 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायत राज्य वित्त आयोग नियम, 1995 है ।

2934-राजपत्र/95-15-11-95—1,224. (4557) मूल्य : 1 रुपया ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है ;

(ख) "वित्त आयोग" से पंचायतों के लिए अधिनियम की धारा 98 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से वित्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत इसका अध्यक्ष भी है; और

(ङ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति.—(1) हिमाचल प्रदेश सरकार, अधिनियम की धारा 98 के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के नाम से ज्ञातव्य, राज्य वित्त आयोग को अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी,

(2) वित्त आयोग का मुख्यालय शिमला में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे ।

4. वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :—

(क) पंचायतों से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो।

या

(ख) नगरपालिकाओं से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो।

या

(ग) आर्थिक और प्रशासन मामलों का ज्ञान अनुभव रखता हो ।

या

(घ) अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो ।

5. वित्तीय या अन्य हित रखने वाले व्यक्तियों को वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.—(1) सरकार, किसी व्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए अपना समाधान करेगी कि ऐसा नियुक्त व्यक्ति, कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है, जिससे वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके अपने कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(2) सरकार, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में समय-समय पर अपना समाधान करेगी कि वे कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखते हैं जिससे, वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके अपने कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो और सरकार इसका समाधान करने के लिए कि क्या कोई अध्यक्ष या सदस्य ऐसा हित रखता है, अध्यक्ष और सदस्यों से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी वह उचित समझे।

6. वित्तीय आयोग के सदस्य होने के लिए निरर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह :—

(क) विकृतचित्त है,

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है,

(ग) नैतिक अधमता से ग्रस्त किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है,

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे वित्त आयोग के उसके अपने कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

7. सदस्यों की पदावधि.—वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा और पदावधि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक बार में छः मास के लिये बढ़ाई जा सकेगी परन्तु यह दो वर्ष से अधिक होगी।

8. सेवा की शर्तें और सदस्यों के वेतन और भत्ते.—(1) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति से पूर्व उन्हें वचनबद्ध करना होगा कि वह ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखेगा जिससे उसकी यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें उनकी पदावधि के दौरान उनके अहित में परिवर्तित नहीं की जायेंगी।

(3) राज्य वित्त आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि इसके सदस्यों में से कोई रिक्ति विद्यमान है या इसके संविधान में कोई त्रुटि है।

(4) राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी और आयोग की राय और आदेश बहुमत के विचारों के रूप में अभिव्यक्त किये जायेंगे।

(5) वित्त आयोग के अध्यक्ष को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिये 8,000 रुपये प्रति मास की दर से वेतन का संदाय किया जायेगा और वित्त आयोग के अन्य सदस्यों को 4000 रुपये समेकित मानदेय संदत्त किया जायेगा :

परन्तु यदि वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या राज्य सरकार की या केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार में से किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में (निःशक्तता या क्षति पैंशन से भिन्न) कोई पैंशन प्राप्त कर रहा है तो वित्त आयोग में सेवा के लिये उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जायेगा, अर्थात् :—

(क) उस पैंशन की रकम, और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में अपने को देय पेंशन के भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम :

परन्तु यह और कि यदि सेवा निवृत्त व्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष से अन्यथा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह पेंशन और उस पर समय-समय पर अनुज्ञेय भत्तों को घटा कर उसके द्वारा सेवा के दौरान प्राप्त अन्तिम वेतन प्राप्त करेगा।

(6) वित्त आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अर्ध सुसज्जित, निशुल्क सरकारी आवास प्राप्त करने या उसके बदले में निम्नलिखित दरों पर आवास भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :—

(1) अध्यक्ष	रु० 2500/- प्रतिमाह
(2) कोई अन्य सदस्य	रु० 500/- प्रतिमाह

(7) इस नियम के उप-नियम (5) और (6) में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति जो अध्यक्ष से भिन्न सदस्य के रूप अपनी नियुक्ति से तुरन्त पूर्व भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी केन्द्र शासित प्रदेश के अधीन किसी पद पर हो, जब तक वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या उक्त सरकार के अधीन उसकी सेवा समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसी दर और वेतनमान पर वेतन, भत्ते और वे ही अन्य सुविधायें प्राप्त करता रहेगा। जिन्हें वह इस नियुक्ति से पूर्व प्राप्त कर रहा था।

(8) वित्त आयोग का अध्यक्ष अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये यात्रा और मंहगाई भत्ता उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार के उच्चतम ग्रेड-I अधिकारी को अनुज्ञेय है, और अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य, अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा और मंहगाई भत्ते पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उसी दर पर यात्रा और मंहगाई भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार ग्रेड-I अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(9) वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा जो राज्य सरकार के ग्रेड-I अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

(10) अध्यक्ष का उप-नियम (5) के अधीन वेतन के अतिरिक्त चार सौ रुपये प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(11) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन मानदेय और अन्य संदेय भत्ते राज्य सरकार की समेकित निधि से संदत्त किये जाएंगे।

9. वित्तायोग को प्रक्रिया और शक्तियां.—वित्त आयोग अपने कृत्यों के अनुपालन को प्रक्रिया अवधारित करेगा और अधिनियम की धारा 98 की उप-धारा (7) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

10. राज्य वित्त आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय.—राज्य वित्त आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वहीं होंगे जो सरकार के कार्यालयों के हैं/हो।

11. राज्य वित्त आयोग की मोहर और प्रतीक.—राज्य आयोग की शासकीय मोहर और संप्रतीक ऐसे होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

12. राज्य वित्त आयोग की बैठक.—राज्य वित्त आयोग की बैठक जब भी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी और वह कार्य की शीघ्र निपटान के हित में, अपनी अधिकारिता में, किसी भी स्थान पर अपनी बैठकें कर सकेगा ।

13. राज्य वित्त आयोग के कर्मचारी.—राज्य सरकार, ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो आयोग को उसके दिन-प्रतिदिन कार्य में सहयोग देने और ऐसे कृत्य, जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो । ऐसे कर्मचारियों का संदेय वेतन, राज्य सरकार की समीचीन निधि में से चुकाया जाएगा ।

14. पुनःनियुक्ति.—राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, इन नियमों के नियम-7 में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

15. अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाना और त्यागपत्र.—(1) राज्य सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो—

(क) न्यायनिर्णीत दीवालिया हो, या

(ख) ऐसे अपराध से दोष सिद्ध किया गया हो जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता से अन्तर्वलित हो, या

(ग) अध्यक्ष के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य हो, या

(घ) ऐसा वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर रखा हो, जिससे उसके अध्यक्ष या सदस्य के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में उचित न हो ।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुये, अध्यक्ष या कोई सदस्य, उप-नियम के खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया, जो वह विनिर्दिष्ट करें, के अनुसार जांच नहीं कर ली जाती है और अध्यक्ष या कोई सदस्य उक्त आधारों पर दोषी नहीं पाया जाता है ।

आदेश द्वारा,

कंवर शमशेर सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English Text of the Notification No. Fin-C-A(3)-4/94, dated 19-9-1995 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India*]

FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th September, 1995

No. Fin-C-A(3)-4/94.—In exercise of the powers conferred by section 98 read with section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make after having been previously published in the Rajpatra Himachal Pradesh extra-ordinary, dated 2nd September, 1994 *vide* Government Notification No. Fin-C-A(3)-4/94, dated 3-8-1994, the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats Rules, 1995, as under, namely:

1. *Short title.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats Rules, 1995.

(2) These shall come into force at once.

2. *Definition.*—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(*b*) "Finance Commission" means the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats constituted under Section 98 of this Act;

(*c*) "Governor" means Governor of the State of Himachal Pradesh;

(*d*) "Member" means a member of the State Finance Commission and includes its Chairman; and

(*e*) "Government" means the Goverment of Himachal Pradesh.

3. *Appointment of Chairman and Members.*—(1) The Government of Himachal Pradesh shall appoint a Chairman and two other Members of the State Finance Commission to be called the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats under section 98 of the Act.

(2) The Finance Commission shall have its headquarters at Shimla or at such other place as may be notified by the Government from time to time.

4. *Qualifications for appointment as Chairman and Members of the Finance Commission.*—The persons to be appointed as Chairman of the Finance Commission and as Members thereof shall—

(*a*) have special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Panchayats; or

(*b*) have special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Municipalities; or

(*c*) have wide experience in financial matters and in administration; or

(*d*) have special knowledge of economics.

5. *Persons having financial or other interests not to be appointed as Members of Finance Commission.* (1) Before appointing a person as a Chairman or Members of the Finance Commission, the Government shall satisfy itself that the persons to be so appointed has no financial or any other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairman or Members of the Finance Commission.

(2) After the appointment of Chairman and Members of the Finance Commission, the Government may also satisfy itself from time to time with respect to the Chairman and Members of the Finance Commission that they may have no Financial or any other interests as is likely to affect prejudicially their functions as Chairman or Members of the Finance Commission and for that purpose the Government may require the Chairman and the Members to furnish it such information as it may consider necessary with a view to satisfy himself as to whether the Chairman or the Members have any such interests.

6. *Disqualification for being Members of the Finance Commission.* A person shall be disqualified for being appointed as, or for being a member of the Finance Commission,—

(a) if he is of unsound mind;

(b) if he is an undischarged insolvent;

(c) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude; or

(d) if he has such financial or any other interest as is likely to affect prejudicial his function as a Member of the Finance Commission.

7. *Term of office of Members.*—Every Member of the Finance Commission shall hold office for one year and the term of office may be extended by a notification published in the Official Gazette at a time for six months, but not exceeding two years by the State Government.

8. *Conditions of Service and Salaries and Allowances of Members.* (1) Before appointment, the Chairman and Members of the State Finance Commission shall have to give an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairman and Members, as the case, may be.

(2) The terms and conditions of service of the Members shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(3) No Act or proceedings of the State Finance Commission shall be invalid by reasons only of the existence of any vacancy among its Members or any defect in the constitution thereof.

(4) In case of difference of opinion among the Members of the State Finance Commission the opinion of the majority shall prevail and the opinion or orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

(5) There shall be paid to the Chairman of the Finance Commission, in respect of the time spend on actual service, salary at the rate of 8000/- per mensum and other members of the Finance Commission a consolidated honorarium of Rs. 4000/- per mensum:

Provided that, if a Chairman of the Finance Commission at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State

or under the Government of Union Territory Administration, his salary in respect of service in the Finance Commission shall be reduced :

(*a*) by the amount of that pension ; and

(*b*) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service of the commutted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that in case of retired person is appointed as member, other than the Chairman of the Finance Commission he shall draw the pay last draw by him minus pension plus allowances there on as admissible from time to time.

(6) The Chairman and every member of the Finance Commission shall be entitle to the use of rent free semi-furnished official residence or in lieu thereof house rent allowance at the following rates :—

(*i*) The Chairman .. Rs. 2,500 P.M.

(*ii*) Any other Members .. Rs, 500 P.M.

(7) Notwithstanding anything contain in sub-rule (5) and (6) of this rule, every person, who immediately before his appointment as Member, other than the Chairman, was holding any office under the Government of India or under the Government of any State or any Union Territory Administration shall be entitle to receive till he attains the age of superannuation or ceases to be in service under the said Government, the salary, allowances and other facilities at the same rates and scales at which he was drawing salary and allowances and availing the facilities, immediately before his appointment as such.

(8) The Chairman of the Finance Commission shall receive TA and DA to re-imburse him the expenses incurred by him on travelling on duty at the same rates as admissible to the highest Grade-I Officers of the State Government and every Members, other than the Chairman, shall receive TA and DA to re-imburse him the expenses incured by him on travelling on duty at the same rates as admissible to the Grade-I Officers of the State Government.

(9) Every Members of the Finance Commission shall be entitle to the same medical facilities as are admissible to Grade-I Officers of the State Government.

(10) The Chairman in addition to his pay under sub-rule (5), shall also be paid sumtuary allowance at the rate of four hundred rupees per month.

(11) The expenses of the State Finance Commission on account of salaries honorarium and other allowances payable, in respect of the Consolidated Fund of the State Government.

9. *Procedure and Powers of Finance Commission.*—The Finance Commission shall determine its procedure in the performance of its functions and shall exercise the powers conferred upon it under sub-section 7 of section 98 of the Act.

10. *Working day and Office hours of the Finance Commission.*—The working days and office hours of the State Finance Commission shall be the same as that of the offices of the State Government.

11. *Seal and emblem of the State Finance Commission.*—The Official seal and emblem of the State Finance Commission shall be such as the State Government may specify.

12. *Sitting of the State Finance Commission.*—The Sitting of the State Finance Commission and when necessary, shall be convened by the Chairman and it may, in the interest of speedy disposal of the work, hold its sittings at any place within its jurisdiction.

13. *Staff of the State Finance Commission.*—The state Government shall appoint such staff as may be necessary to assist the State Finance Commission in its day-to-day work and to perform such functions as are assigned to it by the Chairman. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

14. *Re-appointment.*—The Chairman and the Members of the State Finance Commission shall be eligible for re-appointment on the expiry of the time specified in rule 7 of these rules.

15. *Removal of Chairman or Members from office and resignation.*—(1) The State Government may remove from office, the Chairman or any Member who:—

(*a*) has been adjudged an insolvent; or

(*b*) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(*c*) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairman or Member; or

(*d*) has acquired such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairman or a Member; or

(*e*) has so abused his position as to render his continuance in the office pre-judicial to the public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairman or any Member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (*d*) and (*e*) of that sub-rule except on an enquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and find the Chairman or any Member guilty on such grounds.

By order,

Sd/-
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।